सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 270 राँची, गुरूवार, 11 मई, 2023 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

11 मई, 2023

संख्या-875--माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील नंबर-2539/2010 हिन्दुस्तान सेनिटिवेयर एण्ड इण्डस्ट्रीज बनाम् हरियाणा राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2019 को पारित आदेश को दृष्टिगत करते हुए झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद् से विमर्शोपरांत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम**,** 1948 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अधिसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के दरों के पुनरीक्षण से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या- 1880/ 1881 दिनांक-24.10.2019 एवं अधिसूचना संख्या 1878/1879 दिनांक-24.10.2019 तथा अधिसूचना संख्या-1468 दिनांक-14.08.2015 एवं

अधिसूचना संख्या-1470 दिनांक-14.08.2015 की अनुसूची के अभियुक्ति कॉलम में वर्णित अधिमानता से संबंधित प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

2. उक्त अधिसूचनाओं के शेष अंश में वर्णित प्रावधान यथावत् रहेंगे।

संख्या-01/श्रमा0का0/झा0न्यू0म0परा0प0/02/2019

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

अवर सचिव

श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड ।

अधिसूचना

संख्या-875--का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड **(3)** के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

संख्या-01/श्रमा0का0/झा0न्यू0म0परा0प0/02/2019

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

अवर सचिव

श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड ।

NOTIFICATION

11th May, 2023

No.876--In view the order passed by the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No.- 2539/2010 Hindustan Sanitary Ware & Industries versus State of Haryana on 29.04.2019 and after consultation with the Jharkhand Minimum Wages Advisory Board the provisions regarding service weightage mentioned in remarks column of the departmental notification no. 1880/1881 dated- 24.10.2019,notification number-1878/1879 dated-24.10.2019 and notification number-1468 dated-14.08.2015,notification number-1470 dated-14.08.2015 related to revision of minimum rates of wages under suitable provisions of Minimum Wages Act, 1948 are deleted with immediate effect.

2. The provisions mentioned in the remaining parts of the said notifications will remain unchanged.

No.-01/Shrama. Ka./ Jha.M.W.Adv.Con./02/2019

By Order of the Governor of Jharkhand.

Sd/-
Under Secretary
Office of Labour Commissioner, Jharkhand.

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 270 -- 50